कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 69/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 19.02.2026

थाना – अतरौलिया

अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़, एक अभियुक्त गिरफ्तार

01 तमंचा .315 बोर व 01 कारतूस, 01 तमंचा .303 बोर, 02 अर्द्धनिर्मित तमंचा तथा तमंचा बनाने की फैक्ट्री मय उपकरण बरामद

डॉ० अनिल कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री चिराग जैन तथा क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर श्री कौस्तुभ त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में दिनांक 19.02.2026 को थाना अतरौलिया पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया। अभियुक्त के कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस, अर्द्धनिर्मित असलहे व निर्माण में प्रयुक्त उपकरण बरामद हुए।

☐ घटना/बरामदगी का विवरण

दिनांक 19.02.2026 को उ0नि0 मायापति पाण्डेय व उ0नि0 उमेश चन्द मय हमराह क्षेत्र में देखभाल/रात्रि गश्त में मामूर थे। केसरी तिराहे पर मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम भवानीपुर में एक छप्पर के अंदर अवैध असलहे बनाए जा रहे हैं। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर दबिश दी गई।

मौके पर तीन व्यक्ति अवैध तमंचे व असलहा बनाने के उपकरणों के साथ मौजूद मिले। पुलिस बल को देखकर दो अभियुक्त अंधेरे का लाभ उठाकर झाड़ियों के रास्ते फरार हो गये, जबकि एक को अभियुक्त समय लगभग 03:35 बजे मौके से पुलिस हिरासत में लिया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान:

विन्ध्यांचल पुत्र स्व० राधिका निवासी ग्राम देवलर थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर, उम्र लगभग 55 वर्ष के रूप में हुई।

☐ बरामदगी

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/मौके से निम्नलिखित बरामद हुआ –

1. एक अदद तमंचा .315 बोर
2. एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर
3. एक अदद तमंचा .303 बोर
4. दो अदद अर्द्धनिर्मित तमंचा
5. ग्लैण्डर मशीन
6. तमंचा बनाने की फैक्ट्री मय उपकरण (आरी ब्लेड, रेती, सरिया, छैनी, नाले, सुम्भी, बोल्ट, सड़सी, पंखा भट्ठी, लोहे की पाइप, लोहे की पट्टी, हथौड़ा आदि)

☐ अपराध का तरीका

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वह अपने साथियों **विरजा पुत्र अज्ञात निवासी सहदेवगंज थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़** एवं **अंगद सिंह पुत्र नामवर सिंह निवासी भवानीपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़** के साथ मिलकर अवैध तमंचों का निर्माण करता था। तैयार तमंचों को कारतूस सहित बेचकर आर्थिक लाभ अर्जित करते थे।

□ पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 65/26 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।
विवेचना उ0नि0 अनिल कुमार द्वारा संपादित की जा रही है।

□ गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 मायापति पाण्डेय
2. उ0नि0 उमेश चन्द
3. का0 राजकरन सोनकर
4. का0 सुशील चौधरी
   (सभी थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़)

➡□ जनपद पुलिस अवैध शस्त्र निर्माण एवं तस्करी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही हेतु सतत प्रतिबद्ध है। फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर दी गई हैं।